THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI K. D. MALAVIYA): (a) and (b) After take over of the management of the Indian Iron and Steel Co., the Security Organisation at their Burnpur Works has been adequately strengthened for, among other things, ensuring proper safeguard of plant and equipment and providing effective arrangement against pilferage of material. This has had a salutory effect. It is difficult to precisely compute the loss of property as a result of petty thefts.

सीमावर्ती क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों का बसाया जाना

*265. **श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा :**

श्री डी० के पटेल :

श्री ग्रोम् प्रकाश त्यागी :

श्री प्रकाश वीर शास्त्री

श्री भैरों सिंह शेखावत :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों को बसाये जाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; ग्रौर

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†[**Rehabilitation of ex-servicemen in the border areas**

*265. SHRI V. K. SAKHLECHA:

SHRI D. K. PATEL:

SHRI O. P. TYAGI:

SHRI PRAKASH VIR SHASTRI:

SHRI B. S. SHEKHAWAT:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to rehabilitate the ex-servicemen in the border areas; and

(b) if so, what are the details thereof?]

†[ ] English translation.

रक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) जी हां श्रीमन् : ग्ररुणांचल प्रदेश तथा ग्रेट निकोबार द्वीपसमूह में भूतपूर्व सैनिकों को बसाने की इस समय दो योजनायें हाथ में हैं ।

(ख) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

ग्रंडेमान तथा निकोबार : ग्रंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में बसने वाले भूतपूर्व सैनिकों के प्रत्येक परिवार को 11 एकड़ भूमि जिसमें 5 एकड़ समतल भूमि धान की खेती के लिए, 5 एकड़ भूमि वृक्षारोपण के लिए तथा एक एकड़ भूमि फार्म के लिए दी जाती है । इसके ग्रतिरिक्त प्रत्येक बसने वाले को निम्नलिखित सुविधायें पुनर्वास के लिए प्राप्त करने का हक है :–

(1) ग्रपने निवास-स्थान से ग्रेट निकोबार द्वीप तक जाने के लिए मुफ्त परिवहन ।

(2) प्रथम तीन वर्षों के लिए ग्रनुमोदित मात्रा में मुफ्त राशन ।

(3) घरेलू उपस्करो के लिए ग्रनुदान ।

(4) कृषि उपकरणों, ग्रौजारों तथा पशु-धन को खरीदने के लिए ग्रनुदान ।

(5) बीजों, उर्वरकों तथा पेस्टीसाइड्स इत्यादि के लिए ग्रनुदान ।

(6) मकान बनाने के लिए ग्रनुदान ।

ग्रभी तक 200 भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों को ग्रेट निकोबार द्वीप में बसाया जा चुका है ।

ग्ररुणाचल प्रदेश : ग्ररुणाचल प्रदेश में बसने वाले भूतपूर्व सैनिकों के प्रत्येक परिवारों को 10 मानक एकड़ भूमि कृषि कार्यों के लिए तथा एक एकड़ भूमि फार्म तथा पाकशाला-बगीची के लिए

आबंटित की जाती है । उन्हें इसके अतिरिक्त पुनर्वास के लिए निम्नलिखित सुविधाएं भी प्राप्त करने का हक है :-

(1) अपने निवास-स्थान से उस जगह तक के लिए मुफ्त परिवहन ।

(2) प्रथम दो वर्षों के लिए अनुमोदित मात्रा में राशन ।

(3) घरेलू उपस्करों, बर्तनों इत्यादि को खरीदने के लिए अनुदान ।

(4) कृषि उपकरणों, औजारों, बीजों तथा पशु-धन को खरीदने के लिए अनुदान ।

(5) एक कमरे वाले मकान ।

जीवन की अन्य आधारिक आवाश्यकताएं जैसे जलपूर्ति, औषधालय, स्कूल इत्यादि की व्यवस्था भी उस स्थान पर की गई है । अरुणाचल प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत 1969-70 वर्ष के दौरान 156 भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों को बसाया गया है ।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI J. B. PATNAIK): (a) Yes, Sir. At present two schemes for settling ex-servicemen and their families in Arunachal Pradesh and Great Nicobar Islands are in hand.

(b) A statement is laid on the Table of the House.

statement

Andamans and Nicobars

Each family of ex-servicemen resettled in Andaman and Nicobar Islands is to be provided with 11 acres of land which will consist of 5 acres of flat land for paddy, 5 acres of land for plantation and one acre of homestead land. Each settler is in addition entitled to the following assistance for rehababilitation:—

(1) Free transportation from place of residence to Great Nicobar Islands.

(2) Free rations at approved scale for the first three years.

(3) Grant for house hold equipments.

(4) Grant for purchase of agricultural tools, implements and livestocks.

(5) Grant for seeds, fertilizers pesticides etc.

(6) Grant for construction of house.

200 ex-servicemen and their families have so far been settled in Great Nicobar Island.

Arunachal Pradesh

Each family of ex-servicemen resettled in Arunachal Pradesh is allotted 10 standard acres of land for agricultural purposes and one acre of land for homestead and kitchen garden. They are also entitled to the following additional resettlement assistance:—

(1) Free transportation from place of residence to the site.

(2) Rations at approved scale for the first two years.

(3) Grant for purchasing household equipments, utensils etc.

(4) Grant for purchase of agricultural implements, tools, seeds and livestock.

(5) Single room tenements.

Other basic necessities of life such as water supply, dispensary, school etc. are also to be provided at the site. 156 ex-servicemen and their families were inducted in Arunachal Pradesh during 1969-70 under this scheme.]

†[ ] English translation.

न्यूनतम मजूरी अधिनियम में संशोधन

*266. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**

श्री भैरों सिंह शेखावत :

क्या श्रम मंत्री 22 मार्च, 1974 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1124 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा